

क्रमांक : 1367-75/23

दिनांक : ०७/०४/२०२३

बैठक कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	पद नाम	समिति पदाधिकारी	उपस्थित अधिकारी का नाम एवं पद
1	जिला कलक्टर, अलवर	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी
2	मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)	सदस्य	अनुपस्थित
3	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी।	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रदीप कुमार, वरिष्ठ प्रारूपकार, बीडा भिवाड़ी
4	अधीक्षण अभियंता, बीडा भिवाड़ी	सदस्य	श्री तैयब खान, अधीक्षण अभियंता, बीडा भिवाड़ी
5	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको युनिट प्रथम, भिवाड़ी	सदस्य	श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको युनिट प्रथम, भिवाड़ी
6	क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवाड़ी	सदस्य	श्री अमित शर्मा, क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवाड़ी
7	आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी	सदस्य	श्री रामकिशोर मेहता, आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी
8	वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी	विशिष्ट आमंत्रित	श्री दीपक यादव, वरिष्ठ लेखाधिकारी, बीडा भिवाड़ी
9	प्रभारी अधिकारी आवंटन	विशिष्ट आमंत्रित	श्रीमती सुमित्रा पारीक, भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीडा भिवाड़ी
10	उप सचिव, बीडा भिवाड़ी	सदस्य सचिव	श्रीमती सुनिता यादव, उप सचिव, बीडा भिवाड़ी

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी की कार्यकारिणी समिति की 7वीं बैठक दिनांक 07.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी की अध्यक्षता में सभागार, बीडा भिवाड़ी में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया तथा इस बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है –

सर्व प्रथम बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में पधारे समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में बीडा क्षेत्राधिकार की भूमि विभिन्न राजकीय संस्थानों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यकारिणी समिति द्वारा (बीडा में आवंटन समिति न होने के फलस्वरूप) जनहित में तथा राजकीय विभागों को निर्धारित सीमा तक निःशुल्क भूमि आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यकारिणी समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों के लिए कार्योत्तर स्वीकृति बीडा बोर्ड बैठक में करवाये जाने के माध्यम से बीडा भिवाड़ी कार्यकारी अधिकारी महोदय की अनुमति से कार्यकारिणी समिति को समस्त रखी कार्यसूची का निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया –

Digitally Signed by Sunila Yadav
 Designation: Deputy Secretary
 Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
 Reason: Approved

Page 1 of 12



01. भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की पैंचवीं बैठक दिनांक 12.11.2021 में लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

क्र.सं.	बिन्दु	निर्णय	पुनर्निर्णय	पालना	पुनर्निर्णय
12	भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) द्वारा ग्राम आलमपुर के सभीप बीड़ा की रिक्त भूमि पर योजना विकसित किये जाने के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी के उक्त भूखण्ड को एकल भूखण्ड के रूप में निरस्तारित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	उक्त भूखण्ड पर योजना विकसित करने का उक्त निर्णय लिया गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना विकसित किये जाने हेतु साइट प्लान स्वीकृत कर जारी किया जा चुका है।	विलोपित
13	भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) क्षेत्राधिकार में ग्राम बटाना, तहसील नीमराणा की योजना के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम बटाना के ख0 नं 0 नं 258 पर आवासीय योजना विकसित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	ग्राम बटाना के ख0 नं 0 258 पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में योजना विकसित की जा चुकी है।	विलोपित
14	भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) की स्वीकृत व्यवसायिक योजना प्रगति लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स में संशोधन किये जाने के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्रकरण को बीड़ा भिवाड़ी की ले-आउट प्लान समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।	इस संबंध में ले-आउट समिति द्वारा समिति की निर्णय की जाया जा चुका गया।	बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना की जा चुकी है।	विलोपित

Signature valid

Digitally signed by Sunila Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 3 of 12



02. भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 6वीं बैठक दिनांक 24.01.2023 में
लिए गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण की प्रगति व पुष्टि।

क्र.सं.	बिन्दु	निर्णय	पालना	पुनर्निर्णय
05	भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की नवसृजित आवासीय योजना अशोक विहार, नीमराणा में भूखण्ड संख्या 52 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण पर आवेदनकर्ता श्रीमती नीता यादव पुत्री श्री जगमाल सिंह यादव को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की नवसृजित आवासीय योजना अशोक विहार, नीमराणा में भूखण्ड संख्या 52 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित नहीं किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी को राशि जमा कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 851 / 23 दिनांक 13. 02.2023 सूचित किया गया है, नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	विलोपित
06	मैसर्स श्याम कन्सट्रक्शन कंपनी पर लोक निर्माण समिति द्वारा किये गये निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर लोक निर्माण समिति की व बैठक में लिये गये संवेदक को आगामी 01 वर्ष तक बीड़ा की निविदाओं से वंचित महोदया, बीड़ा को (Debar) करने का निर्णय पर माननीय मंत्री महोदया के समक्ष पुनर्विचार/समीक्षा हेतु अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में माननीय अध्यक्ष महोदया, बीड़ा को दिनांक 03.03.2023 को पत्र प्रेषित किया गया है।	विलोपित
07	224 EWS Zone 1A के अन्तर्गत आवासों के लंबित निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु आई.आई.टी. रुडकी से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर आवेदनकर्ताओं को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मूल राशि लौटाई जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्तमान में मौजूद संरचना (Structure) के विधिक दायित्व /कानूनी उत्तरदायित्वों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त उक्त संरचना (Structure) को ध्वस्त कर उपलब्ध भूमि के निष्पादन किये जाने के संबंध में बीड़ा बोर्ड बैठक में निर्णय होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में आवेदनकर्ताओं को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ मूल राशि लौटाई जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त मौजूद संरचना (Structure) के विधिक दायित्व /कानूनी उत्तरदायित्वों का परीक्षण किये जाने के उपरान्त उक्त संरचना (Structure) को ध्वस्त कर उपलब्ध भूमि के निष्पादन किये जाने के संबंध में बीड़ा बोर्ड आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।	विलोपित
08	ग्राम पंचायत नाखनौल के खसरा नं 113 रक्का 5.44 हैक्टर गै.मु.बेहड़ में जोहड़ खुदाई एवं अन्य कार्य हेतु अनाप्ति दिये जाने के क्रम में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर इस प्रकरण में अनाप्ति नहीं दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना की जा चुकी है।	विलोपित
09	Jio Digital Fibre Private Limited द्वारा	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर आवेदनकर्ता	Digital Signature of Sunita Yadav Designation: Deputy Secretary Date: 2023.04.07 10:13:25 IST Reason: Approved	Signature valid

Page 4 of 12



		प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।		
14	भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाडी की समस्त पत्रावलियों के द्वारा निर्धारण के संबंध में	कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में उक्त निर्धारित दरों पर सहमति सर्वसम्मति से ली गई।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना की जा चुकी है।	विलोपित
15	i	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दू – भवानी इन्टरप्राइजेज द्वारा कार्यालय बीडा, भिवाडी में मैन पॉवर (एक्स सर्विस मैन सिविल गार्ड, ड्राईवर सफाई कर्मचारी) माह जून 2022 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसी द्वारा उक्त कार्मिकों का माह जून से अक्टूबर की पी.एफ राशि का भुगतान जमा कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है तथा कार्यालय में लगाए गए कार्मिकों का नवम्बर व दिसम्बर माह का मानदेय का भुगतान भी नहीं किया है। समिति द्वारा प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त प्रकरण में एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।	बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में अनुबंध निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त समस्त कार्मिकों का मानदेय एवं पी.एफ भुगतान संबंधित एजेंसी के माध्यम से कराया जा चुका है।	विलोपित

Signature valid

Digitally signed by Sunila Yadav
 Designation: Deputy Secretary
 Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
 Reason: Approved

Page 6 of 12



03. भिवाड़ी में राजकीय कार्यालय एटीएस/एसओजी की नवीन युनिट स्थापना हेतु ग्राम नाखनौल तह0 टपूकड़ा के खसरा नं0 113 कुल रकबा 5.44 है0 किस्म गैर मु0 बेहड में भूमि आवंटन के क्रम में –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बजट घोषणा 2022–23 की क्रियान्विति के क्रम में (आवंटन हेतु) श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी द्वारा 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु इस कार्यालय में आवदेन प्रस्तुत किया गया है। एटीएस/एसओजी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित भूमि नाखनौल तह0 टपूकड़ा के खसरा नं0 113 कुल रकबा 5.44 है0 किस्म गैर मुमकिन बेहड जो राजस्व रिकार्ड में बीड़ा के नाम दर्ज है, को आवंटन हेतु चिन्हित किया गया है। चिन्हित भूमि में से श्रीमान मुख्य कार्यकारी बीड़ा भिवाड़ी के निर्देशानुसार 500 वर्गमीटर भूमि मौकानुसार निःशुल्क आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि की किस्म गैर मु0 बेहड दर्ज रिकॉर्ड है।

ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान–2041 के अनुसार खसरा नं0 113 में प्रश्नगत भूमि का Landuse Medium Density and Natural Conservation दर्शित है, जो As per Master Plan use is “Residential Landuse Municipal State and central govt. office” हेतु अनुज्ञेय है। परन्तु ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के अनुसार उक्त भूमि किस्म (गैर0 मु0 बेहड) प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। परन्तु अधिसूचना के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.1999 के अनुसार उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के आवंटन से पूर्व पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

ग्राम नाखनौल तह0 टपूकड़ा के खसरा नं0 113 कुल रकबा 5.44 है0 किस्म गैर मुमकिन बेहड में से राजकीय कार्यालय एटीएस/एसओजी की नवीन यूनिट स्थापना को 500 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु अनापत्ति बाबत श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1325–26 / 23 दिनांक 05.04.2023 प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण में पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्रत्युत्तर प्राप्ति पश्चात राजकीय कार्यालय एटीएस/एसओजी की नवीन यूनिट स्थापना हेतु ग्राम नाखनौल तह0 टपूकड़ा के खसरा नं0 113 कुल रकबा 5.44 है0 किस्म गैर मु0 बेहड में मौकानुसार 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी में राजकीय कार्यालय एटीएस/एसओजी की नवीन यूनिट स्थापना हेतु ग्राम नाखनौल तह0 टपूकड़ा के खसरा नं0 113 कुल रकबा 5.44 है0 किस्म गैर मु0 बेहड में भूमि आवंटन के क्रम में पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पूर्व प्रेषित पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त अनापत्ति उपरांत मौकानुसार 500 वर्गमीटर भूमि हेतु आवंटन पत्र तथा साईट प्लान जारी किये जाने एवं वर्तमान में पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से अनापत्ति प्राप्त होने तक प्रोविजनल आवंटन/आरक्षित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 7 of 12



04. खेल स्टेडियम कोटकासिम हेतु भूमि आवंटन के कम में -

खेल स्टेडियम कोटकासिम हेतु भूमि आवंटन के क्रम में जिला खेल अधिकारी (अलवर) द्वारा 4 हैं भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त खेल स्टेडियम बाबत भूमि आवंटन हेतु कार्यालय जिला कलक्टर महोदय, अलवर द्वारा ग्राम पुर तह 0 कोटकासिम के आराजी खसरा नं 0 782 रकबा 1.56 हैं, खसरा नं 0 1577/775 रकबा 2.62 हैं 0 में से 1.70 हैं, खसरा नं 0 1596/781 रकबा 2.53 हैं 0 में से 0.74 हैं 0 कुल किता 03 रकबा 4 हैं 0 भूमि किस्म चारागाह आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई थी। जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु बीड़ा क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम खेड़ी आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई थी।

रक्खा 4 है तु राय/ अनापति चाही गई है।
 राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 27 के अनुसार बीड़ा भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पूर्ण चारागाह व अन्य राजकीय भूमियों का हस्तान्तरण भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) भिवाड़ी के नाम दर्ज किया जाना था। उक्त अधिनियम के अनुशारण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1205-06/23 दिनांक 28.03.2023 एवं पत्रांक 292-93/23 दिनांक 04.04.2023 द्वारा चारागाह भूमि को बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज करवाने बाबत श्रीमान 'जिला कलक्टर महोदय, अलवर से निवेदन किया गया है।

निर्णय : कार्यकारी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं ग्राम पुर तहो कोटकासिम के आराजी खसरा नं० 773, 774, 782, 1592/771, 1577/775, 1596/781 किस्म चारागाह कुल किता 6 रकबा 10.82 है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने के उपरांत खेल स्टेडियम कोटकासिम हेतु कुल 4 है० भूमि का आवंटन प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Sumita Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved Page

Page 8 of 12

RaiKaj Ref No. : 3598571



05. ग्राम पंचायत दहमी के ग्राम हमजापुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति दहमी हेतु भूमि आवंटन के क्रम में –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 के क्रम में ग्राम सेवा सहकारी समिति दहमी के लिए ग्राम हमजापुर के खसरा नं 922 रकबा 0.2297 हैं। किस्म बारानी–उत्तम में से 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर से प्रस्ताव बीड़ा कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रस्तावित भूमि का एस.एन.बी मार्स्टर प्लॉन के अनुसार भू-उपयोग ग्रीन बफर व हाईवे कंट्रोल जोन दर्शित है एवं राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 11.04.2017 के अनुसार हाईवे कंट्रोल जोन में गोदाम हेतु 0.50 हैं। एवं 18 मीटर पहुंच मार्ग आवश्यक है। उक्त खसरे में ग्रीन बफर को छोड़ा जाना आवश्यक है। उक्त आराजी में लगभग 300 वर्गमीटर भूमि पर (3 कमरे बरामदा, 2 कमरे बरामदा एवं 1 कमरा बरामदा पृथक–पृथक बने हुए हैं। जिसमें अटल सेवा केन्द्र एवं आगंनवाड़ी केन्द्र संचालित है।) उक्त भूमि एन.एच 48 पर स्थित है।

उपरोक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में ग्राम हमजापुर के खसरा नं 922 में से 500 वर्गमीटर भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति दहमी ग्राम पंचायत दहमी को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में ग्राम हमजापुर के खसरा नं 922 में से 500 वर्गमीटर भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति दहमी ग्राम पंचायत दहमी को आवंटित किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं ग्राम हमजापुर के खसरा नं 922 में से 500 वर्गमीटर भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति दहमी ग्राम पंचायत दहमी को प्रोविजनल आवंटन तथा हाईवे कंट्रोल जोन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Sunila Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 9 of 12



06. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली तह0 हरसौली हेतु भूमि आवंटन के क्रम में –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 के क्रम में ग्राम हरसौली तह0 हरसौली के खसरा नं0 1801 रकबा 2.33 है0 भूमि किस्म चारागाह में से 13000 वर्गमीटर भूमि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

उक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली हेतु कार्यालय जिला कलक्टर महोदय, अलवर द्वारा ग्राम हरसौली के खसरा नं0 1801 रकबा 2.33 है0 किस्म चारागाह में से 1.40 है0 भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई थी। जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु बीड़ा क्षेत्राधिकार में स्थित ग्राम हरसौली के खसरा नं0 1286 रकबा 1.5174 है किस्म बारानी सोयम हेतु राय/अनापति चाही गई है।

राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 की धारा 27 के अनुसार बीड़ा, भिवाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाली सम्पूर्ण चारागाह व अन्य राजकीय भूमियों का हस्तांतरण भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीड़ा) भिवाड़ी के नाम किया जाना था। अतः खसरा नं0 1801 रकबा 2.33 है0 भूमि किस्म चारागाह को बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1205–06/23 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया था।

उक्त क्रम में राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार उक्त खसरा नं0 1801 रकबा 2.33 है0 भूमि किस्म चारागाह वर्तमान में बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज हो चुकी है। राजस्व/अभियांत्रिकी/आयोजना की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नं0 1801 भूमि का राजस्थान सब रिजनल प्लान 2021 के अनुसार Agriculture (Rural) zone outside controlled/developed area स्थित है। जिसमें Education and Training Institutions अनुज्ञेय है। मौके पर 1.48 है0 भूमि पर जोहड़ है, जिसमें प्रस्तावित भूमि हेतु 30 मीटर तक ग्रीन बफर आरक्षित रखा जावेगा। आवेदित भूमि पर 33 केवी विद्युत लाईन गुजर रही है जिसको स्थानान्तरित करना होगा।

उपरोक्तानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली, तह0 हरसौली को 13000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा 2023–24 की अनुपालना में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली तह0 हरसौली को 13000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरसौली तह0 हरसौली को जोहड़ की यथास्थिति रखते हुए आवेदित भूमि से गुजर रही 33 केवी विद्युत लाईन तथा 18 मीटर पहुंच मार्ग इत्यादि की सुनिश्चितता संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से कराये जाने की शर्त पर प्रस्तावित भूमि को आवंटित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Sumita Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 10 of 12



07. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी हेतु भूमि आवंटन के क्रम में –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बजट घोषणा 2022–23 की कियान्विति के क्रम में राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नं० 850 रकबा 36. 21 में से 30.60 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मु० बेहड जो राजस्व रिकार्ड में बीड़ा के नाम दर्ज है, में से 13000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, तिजारा (नोडल अधिकारी) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि की किस्म गैर मु० बेहड दर्ज है। ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान 2041 अनुसार उक्त भूमि Public Semi Public Land use के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग Socio Cultural Facilities के अन्तर्गत आती है। ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान अनुसार कॉलेज हेतु 1 है० भूमि एवं न्यूनतम 30 मीटर पहुंच मार्ग आवश्यक है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के अनुसार उक्त गैर० मु० बेहड किस्म भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। परन्तु अधिसूचना के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 29.11.1999 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के आवंटन से पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० टपूकडा के खसरा नं० 850 किस्म गैर मुमकिन बेहड में से राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी को 13000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1228–29 दिनांक 29.03.2023 श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महादेय, पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया है। अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

आतः प्रकरण में पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्रत्युत्तर प्राप्ति पश्चात राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी के निर्माण हेतु ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० टपूकडा के खसरा नं० 850 किस्म गैर मुमकिन बेहड में से राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी को 13000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत है।

निर्णय : कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं भिवाड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिवाड़ी के निर्माण हेतु ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह० टपूकडा के खसरा नं० 850 किस्म गैर मुमकिन बेहड में से राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी को 13000 वर्गमीटर भूमि प्रोविजनल आवंटन/आरक्षित किये जाने तथा पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पूर्व प्रेषित पत्र के प्रत्युत्तर में प्राप्त अनापत्ति उपरांत आवंटन पत्र तथा साईट प्लान जारी किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

नोट – उक्त समस्त आवंटन बीड़ा बोर्ड की आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति के अध्याधीन होंगे।

उप सचिव

भि.इं.वि.प्रा. भिवाड़ी

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड़ा भिवाड़ी।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी।
4. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीड़ा भिवाड़ी।
6. अधीक्षण अभियंता, बीड़ा भिवाड़ी।

Signature valid

Digitally signed by Sumita Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 11 of 12



7. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको प्रथम, भिवाड़ी।
9. क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी।
10. कार्यालय प्रति।

उप सचिव
भि.इं.वि.प्रा. भिवाड़ी

Signature valid

Digitally signed by Sunila Yadav
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.04.07 10:13:25 IST
Reason: Approved

Page 12 of 12

RajKaj Ref No. : 3598571

